2021
15

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कार्यालय कनवास जिला कोटा राज.।

विषयः— प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता खुलासा करवाने बाबत।

मान्यावर ,

ग्राम बास्याहेडी में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के खाते की कृर्षि भूमिया स्थित है, उक्त कृर्षि भूमियो पर सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की कृर्षि भूमियो का पिछले 40 वर्षो से पृथक पृथक काश्त करते आ रहें प्रार्थी के हिस्से की खसरा नं. 395 की 2.05 है0 कृर्षि भूमि है जिसका रास्ता सडक लगवा नवीन ब्राहम्ण के हिस्से के खते व इसकी तरफ धनराज, मेघराज, सुरेश कुमार कराड के खेत के मध्य से होकर प्रार्थी हमेशा से आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के हिस्से के खेत पर जाने का रास्ता नही रहा है, उक्त व्यक्ति पिछले 7–8 वर्षो से रास्ते को बन्द करने पर उतर रहा है, सुरेश कुमार, धनराज, व मेघराज ने अपना खेत जमनालाल गुर्जर को बेच दिया है। अभी रास्ता नवीन ब्राहम्ण व जमनालाल गुर्जर ने पत्थरो का कोट कर बन्द कर दिएया है, जिससे आस पास के खेत वालो से हाथा जोडी कर कर के बडी मुश्किल से गेहू की बुवाई की है इन लोगो द्वारा रास्ता बन्द करने से प्रार्थी अपने खेत पर नही जा सकते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत बास्याहेडी ने भी फैसला कर रखा है लेकिन ये यक्ति रास्ते को खुलाशा नही रखते।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता खुलाशा करवाया जावे।

दिनांक 09.12.2020

स्थान — कनवास

हस्ताक्षर प्रार्थी

पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण

तहसील कनवास

जिला कोटा राज.

5/1/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:29 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 7/12/2020 को प्रार्थी कजोड़ लाल
पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी बालाखेड़ी के
द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि
ग्राम बालाखेड़ी के प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान
के खाते की कृषि भूमि स्थित है जो खातेदार
अपनी-अपनी भूमियों पर 40 वर्षों से पृथक-पृथक
खेती कर रहे हैं। प्रार्थी के खेत 290 व 395
की रस्ता 205 व [illegible] भूमि व [illegible] रास्ता
सड़क से लगता नवीन ब्राह्मण के हिस्से के खाते
व अन्य खातेदार जमना लाल मनफूल और जिनके
नाम दर्ज किये गये भूमि की मेड़ पर होकर
हमेशा आता रहा थी किन्तु 7-8 वर्षों
से रास्ता बन्द कर दिया गया है
तथा नवीन कुमार द्वारा भी रास्ता बन्द कर
दिया गया थी प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी
जमना लाल एवं नवीन कुमार को जरिये
टेलीफोन तलब किया गया। तुम्हें उक्त
प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण उपस्थित आये
जिनको समझाईश की गई। जमना लाल द्वारा बताया
गया कि मेरे द्वारा कोई काट आदि नहीं की है
मेरी भूमि की तरफ रास्ता खुला हुआ है
प्रार्थी कजोड़ लाल को मेरी तरफ से कोई
रुकावट निकलने में पैदा नहीं कि जावेगी।
अप्रार्थी नवीन कुमार उपस्थित। अप्रार्थी नवीन
कुमार को सुना गया और अप्रार्थी नवीन कुमार
द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा प्रार्थी कजोड़लाल
को निकलने [illegible] दिया [illegible] खेत
290 व [illegible] दिया [illegible] खेत नं
393 से [illegible] अप्रार्थी नवीनकुमार
द्वारा रास्ता दिए जाने पर सहमति दी गई
उक्त आपसी में समझाईश कर न्यायालय
में बँटवारा के सम्बन्ध में जरिये
दी जिनमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:29 IST
Reason: SelfAttested

219017925

को आने हेतु मार्ग छोड़ निकालने हेतु
समझाईश की गई अप्रार्थी द्वारा
स्वीकार किया गया नवीन द्वारा
प्रार्थी को रास्ता देने के कोई
परेशानी नहीं होगा बताया दोनों
के [illegible] कर अप्रार्थी २५०
२९७ के मेड से आ-जा सकता है

खण्ड अधिकारी
[illegible] जिला कोटा (राज०)

कालीदास

पवन

नवीन

रामेश्वर

राजूलाल

जगन्नाथ लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:29 IST
Reason: SelfAttested